NETAJI SUBHAS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL Dulas and Degulations

Rules and Regulations

EVERY STUDENT ADMITTED TO NSMCH SHALL HAVE TO FOLLOW RULES AND REGULATIONS.

- 1. Students are responsible to the Principal for their behavior, both in and outside the campus.
- 2. All decisions taken by the college administration are final and binding on the students.
- 3. Students should maintain silence in the classes, library, reading room and in the corridors. Students should make every effort to take care of the college and hospital property and help in maintaining the same. They should not write on the blackboard, scribble on tables, chairs, walls etc.
- 4. Students are not allowed to come directly to the Principal's office. They can come only with the permission of the Mentor.
- 5. Students should greet the lecturers when they see them for the first time in the college/hospital/hostel, etc.
- 6. If the students have any problem, they inform the class representative and the class representative will intimate it to the Mentor. If the problem is not solved at the class Mentor's level, then the Mentor will present it to the Principal. No Students should bypass the abovementioned channels. Exceptions are allowed only if the problem is utmost urgent/serious.
- 7. Ragging is an offence. Ragging is strictly prohibited in the college campus as well as in the hostel. Any student/students involved in such activities will be immediately expelled from the institution. Both junior and senior students are required to maintain a cordial relationship with each other and a disciplined atmosphere in the college campus.
- 8. If a student is in need to get leave from the college or hospital in the middle of a day, for any emergency, he/she should get sanction from the Mentor and a letter to that effect must be produced from the parent or guardian.
- 9. Regular and punctual attendance in all class activities like lectures, demonstrations, practical, clinical teaching, tutorials, tests, etc., is mandatory. Usual college time is 8 am 4 pm.
- 10. Students must have to participate in all college activities like clinical duties, conferences, guest lectures, seminars as well as sports, cultural activities, etc.
- 11. As per **University & NMC regulations**, no student shall be allowed to appear in the annual examination of the concerned subject if his/her attendance in practical is below 80% & in theory below 75%. At least 50% marks in each subject in semester examinations is essential for the same.
- 12. Leave of absence from the classes must be taken from the teachers.
- 13. In case of illness, permission shall have to be obtained from the principal to remain absent from studies and must submit sickness/fitness certificate. **If any student will be found**

absent from the class for 6 days in a month he will be suspended from the class & Hostel from 1st day of next month. The student will have to submit an affidavit for not repeating the same act again & he will have to get permission from Principal/Dean for revoking of suspension.

- 14. The student must clear all the dues of the college & hostel before the commencement of the exam; otherwise, she/he will not be allowed to attend the exams.
- 15. Any student who damages the reputation of the college in any way is liable to be punished. If any student discontinues the course, he/she shall clear all dues for the remaining duration of the course. If he/she fails to pay, his/her original certificates will not be returned. Original certificates will be returned at the time of leaving the college when students clear the dues.
- 16. Students are required to maintain ethical and professional standards in behavior both inside and outside the college, hospital, hostel and community premises.
- 17. Each student is responsible for the proper handling and safe custody of any apparatus or equipment that he/she may be used in different labs. Misuse or negligence will result in the replacement of the particular by the candidate. Any willful damage done to the property of the college and hospital will be treated as a breach of discipline.
- 18. Students are not allowed to paste notices within the institutions without prior written permission from the office of the principal.
- 19. Students are forbidden to communicate with any outside authority directly. All such communications must be submitted through the office of the Principal. Any student infringing this rule is liable to be suspended.
- 20. For any kind of misbehavior with staff or creating disturbances in the classroom and in the college premises by a student or group of students, a full range of disciplinary action will be taken i.e. student will be punished and depending upon his/her fault can be under legal action.
- 21. Taking an active part in politics will result in being expelled from the institution. Coming on hospital duty or entering the institute premises in an un presentable appearance will be liable to punishment.
- 22. Students are required to wear a full uniform during college and hospital and jewellery, earrings, painted fingernails, threads and bracelets on hands, Long Beard & hair for Boys etc., are not allowed. Students must be neat and tidy in their dress.
- 23. Students are required to wear apron with name plates & carry their identity cards during college hours, clinical and whenever they are going out and must be produced whenever it is asked by the concerned authority.
- 24. College has a prescribed dress code to which all students must abide. Students should wear college dress provided by the college authority on payment.
- 25. Use of mobile phones is strictly prohibited in the college campus and clinical area. If found in similar act, the mobile will be confiscated & will not be returned.

26. College campus is the alcohol & tobacco-free zones so don't use any kind of such substances otherwise punishable. Drug abuse will be dealt with severally.

Information to Parents/Guardians

All efforts on the part of the college, however sincere and dedicated it may be, will go all set unless wholehearted cooperation comes from the guardians of the students as well as the students themselves. The process of learning is always like two-way traffic. Therefore, a close, consistent and integrated interaction between the college and the guardians are most essentially required. The college has lain down and open clear administrative and academic plan. The college provides the services of the best possible highly qualified and experienced teaching faculty. It provides a congenial and educational environment to the students in the college. Efficient arrangements of practices are undertaken along with theory. A cumulative record of the performance of the students is maintained, and the guardians are duly informed of the progress of their wards. Internal examinations/monthly test are conducted and the guardians are duly informed.

In order to see an efficient functioning of the college, all guardians are requested to lend a helping and cooperating hand to the working teams, both on the administrative and academic sides.

Parents are advised to approach the Dean, Principal or senior faculty member regularly to know the progress of their wards. They should meet the college authorities whenever they are asked without fail.

College fee should be deposited in time. For any grievance or extension of date personal meeting with college authority is advisable. No conversation with college authorities is permissible on phone except in emergency condition.

DRINCIDAL

NSMCH, Bihta, Patna

नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

नियम और विनियम

एनएसएमसीएच में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

- 1. छात्र परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने व्यवहार के लिए प्राचार्य के प्रति जिम्मेदार हैं।
- 2. कॉलेज प्रशासन द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम और छात्रों के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- 3. छात्रों को कक्षाओं, पुस्तकालय, वाचनालय और गलियारों में मौन रखना चाहिए। छात्रों को चाहिए कि वे कॉलेज और अस्पताल की संपत्ति की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करें और उसे बनाए रखने में मदद करें। उन्हें ब्लैकबोर्ड पर, मेजों, कुर्सियों, दीवारों आदि पर नहीं लिखना चाहिए।
- 4. छात्रों को सीधे प्राचार्य के कार्यालय में आने की अनुमति नहीं है। वे मेंटर की अनुमति से ही आ सकते हैं।
- 5. छात्र जब कॉलेज/अस्पताल/छात्रावास आदि में पहली बार व्याख्याताओं को देखें तो उनका अभिवादन करना चाहिए।
- 6. यदि छात्रों को कोई समस्या है, तो वे कक्षा प्रतिनिधि को सूचित करते हैं और कक्षा प्रतिनिधि इसकी सूचना मेंटर को देंगे। यदि कक्षा मेंटर के स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मेंटर इसे प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा। किसी भी छात्र को उपर्युक्त चैनलों को बायपास नहीं करना चाहिए। अपवादों की अनुमित केवल तभी दी जाती है जब समस्या अत्यंत आवश्यक/गंभीर हो।
- 7. रैगिंग एक अपराध है। कॉलेज परिसर के साथ-साथ छात्रावास में रैगिंग सख्त वर्जित है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी छात्र/छात्रा को संस्थान से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। जूनियर और सीनियर दोनों छात्रों को कॉलेज परिसर में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और अनुशासित माहौल बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- 8. यदि किसी छात्र को किसी आपात स्थिति के लिए एक दिन के मध्य में कॉलेज या अस्पताल से छुट्टी लेने की आवश्यकता होती है, तो उसे मेंटर से मंजूरी लेनी चाहिए और इस आशय का एक पत्र माता-पिता या अभिभावक से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 9. सभी कक्षा की गतिविधियों जैसे व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यावहारिक, नैदानिक शिक्षण, ट्यूटोरियल, परीक्षण आदि में नियमित और समयनिष्ठ उपस्थिति अनिवार्य है। कॉलेज का **सामान्य समय** सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक है।
- 10. छात्रों को सभी कॉलेज गतिविधियों जैसे नैदानिक कर्तव्यों, सम्मेलनों, अतिथि व्याख्यान, संगोष्ठियों के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में भाग लेना चाहिए।
- 11. विश्वविद्यालय और एनएमसी के नियमों के अनुसार, किसी भी छात्र को संबंधित विषय की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी यदि उसकी उपस्थिति प्रैक्टिकल में 80% से कम और सैद्धांतिक रूप से 75% से कम है। सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक उसी के लिए आवश्यक हैं।
- 12. कक्षाओं से अनुपस्थिति की छुट्टी शिक्षकों से ली जानी चाहिए।
- 13. बीमारी की स्थिति में, पढ़ाई से अनुपस्थित रहने के लिए प्राचार्य से अनुमित लेनी होगी और बीमारी/फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 14. परीक्षा शुरू होने से पहले छात्र को कॉलेज और छात्रावास के सभी बकाया का भुगतान करना होगा; अन्यथा, उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 15. किसी भी प्रकार से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी छात्र दण्ड का भागी होगा। यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को बंद कर देता है, तो वह पाठ्यक्रम की शेष अविध के लिए सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा। यदि वह भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके मूल प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्र कॉलेज छोड़ने के समय छात्रों द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने पर वापस कर दिए जाएंगे।
- 16. छात्रों को कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास और सामुदायिक परिसर के अंदर और बाहर व्यवहार में नैतिक और व्यावसायिक मानकों को बनाए रखना आवश्यक है।
- 17. प्रत्येक छात्र किसी भी उपकरण या उपकरण की उचित हैंडलिंग और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसका वह विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपयोग कर सकता है। दुरुपयोग या लापरवाही के परिणामस्वरूप उम्मीदवार द्वारा विशेष को बदल दिया जाएगा। कॉलेज और अस्पताल की संपत्ति को जान-बूझकर नुकसान पहुंचाने को अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा।
- 18. छात्रों को प्राचार्य के कार्यालय से पूर्व लिखित अनुमित के बिना संस्थानों के भीतर नोटिस चिपकाने की अनुमित नहीं है।
- 19. छात्रों को किसी बाहरी प्राधिकारी से सीधे संवाद करने की मनाही है। ऐसे सभी संचार प्राचार्य के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी छात्र को निलंबित किया जा सकता है।
- 20. स्टाफ के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी छात्र या छात्रों के समूह द्वारा कक्षा और कॉलेज परिसर में गड़बड़ी पैदा करने पर पूरी तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अर्थात छात्र को दंडित किया जाएगा और उसकी गलती के आधार पर कानूनी कार्रवाई के तहत हो।
- 21. राजनीति में सक्रिय भाग लेने पर संस्था से निष्कासित किया जाएगा। अस्पताल में ड्यूटी पर आने या अस्पताल परिसर में अस्पष्ट रूप में प्रवेश करने पर दण्ड का भागी होगा।
- 22. छात्रों को कॉलेज और अस्पताल के दौरान पूरी वर्दी पहनना आवश्यक है और आभूषण, झुमके, पेंट किए हुए नाखून, हाथों पर धागे और कंगन, लड़कों के लिए लंबी दाढ़ी और बाल आदि की अनुमित नहीं है। छात्रों को अपने पहनावे में साफ सुथरा होना चाहिए।
- 23. छात्रों को नेम प्लेट के साथ एप्रन पहनना और कॉलेज के घंटों के दौरान, नैदानिक और जब भी वे बाहर जा रहे हों तो अपना पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है।
- 24. कॉलेज में एक निर्धारित ड्रेस कोड होता है जिसका सभी छात्रों को पालन करना चाहिए। छात्रों को भुगतान पर कॉलेज प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई कॉलेज पोशाक पहननी चाहिए।
- 25. महाविद्यालय परिसर और नैदानिक क्षेत्र में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसी तरह के कृत्य में पाए जाने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा।
- 26. कॉलेज परिसर शराब और तंबाकू मुक्त क्षेत्र है इसलिए किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थों का उपयोग न करें अन्यथा दंडनीय है। नशाखोरी से सख्ती से निपटा जाएगा।

माता-पिता/अभिभावकों को सूचना

कॉलेज की ओर से सभी प्रयास, चाहे वह कितना भी ईमानदार और समर्पित क्यों न हो, जब तक छात्रों के अभिभावकों के साथ-साथ स्वयं छात्रों का पूरा सहयोग नहीं मिलता है। सीखने की प्रक्रिया हमेशा दोतरफा यातायात की तरह होती है। इसलिए, कॉलेज और अभिभावकों के बीच घनिष्ठ, सुसंगत और एकीकृत बातचीत सबसे अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कॉलेज ने स्पष्ट प्रशासनिक और शैक्षणिक योजना तैयार कर ली है। कॉलेज सर्वोत्तम संभव उच्च योग्य और अनुभवी शिक्षण संकाय की सेवाएं प्रदान करता है। यह कॉलेज में छात्रों को एक अनुकूल और शैक्षिक वातावरण प्रदान करता है। सिद्धांत के साथ-साथ अभ्यासों की कुशल व्यवस्था की जाती है। छात्रों के प्रदर्शन का एक संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है, और अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में विधिवत सूचित किया जाता है। आंतरिक परीक्षा/मासिक परीक्षा आयोजित की जाती है और अभिभावकों को विधिवत सूचित किया जाता है।

कॉलेज के एक कुशल कामकाज को देखने के लिए, सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों पर काम करने वाली टीमों की मदद और सहयोग करें।

माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों की प्रगति जानने के लिए नियमित रूप से डीन, प्रिंसिपल या वरिष्ठ संकाय सदस्य से संपर्क करें। जब भी उनसे पूछा जाए तो उन्हें कॉलेज के अधिकारियों से मिलना चाहिए।

कॉलेज की फीस समय से जमा कराएं। किसी भी शिकायत या तिथि के विस्तार के लिए कॉलेज प्राधिकरण के साथ व्यक्तिगत बैठक की सलाह दी जाती है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर कॉलेज के अधिकारियों के साथ फोन पर किसी भी तरह की बातचीत की अनुमति नहीं है।

पाचार्य

एनएसएमसीएच, बिहटा, पटना